



राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी, जयपुर (राजमेस)

गोविन्द मार्ग, जनता कॉलोनी, चिकित्सा शिक्षा भवन, जयपुर
(राजस्थान सरकार द्वारा गठित)

(राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत)

क्रमांक : F1(5)RajMES/Estt./Faculty/Seniority List/2021/1315

दिनांक 31/5/2021

आदेश

राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी पर्सनल्स (रिक्रूटमेन्ट एण्ड अदर कन्डीशन) एम्ब्लॉएमेन्ट रूल्स, 2017 (as and when ammended) के नियम 28 के अन्तर्गत फोरेन्सिक मेडिसिन विशिष्टता में नियमित रूप से नियुक्त चिकित्सक शिक्षकों की दिनांक 01.04.2021 की स्थिति के अनुसार अस्थायी वरिष्ठता सूची एतद् द्वारा जारी की जाती है। यदि कोई चिकित्सक शिक्षक इससे परिवेदित होता है तो, इसके जारी होने की तिथि से 07 दिवस की समयावधि में अपना अभ्यावेदन प्रमाणित दस्तावेजों सहित द्वारा प्रधानाचार्य इस कार्यालय को निश्चित रूप से प्रेषित कर दें। निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त होने वाले अभ्यावेदनों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा एवं अन्तिम वरिष्ठता सूची जारी कर दी जावेगी :-

PROFESSOR

Sr. No.	Name	Category	DOB
1.	Dr. Hareesh Kumar	General	17.07.1972
2.	Dr. Shrikant Subhash Asawa	General	22.06.1968
3.	Dr. Anupamkumar Bansal	General	17.01.1981

ASSISTANT PROFESSOR

Sr. No.	Name	Category	DOB
1.	Dr. Chetan Kumar R.	General	07.03.1981
2.	Dr. Mahendra Singh	OBC	13.03.1986
3.	Dr. Arvind Kumar Goyal	General	24.04.1982
4.	Dr. Amit Shrivastava	General	05.02.1982

SENIOR DEMONSTRATOR

Sr. No.	Name	Category	DOB
1.	Dr. Praveen Singh Shekhawat	General	13.01.1988
2.	Dr. Lokendar Pal Singh	OBC	02.01.1983
3.	Dr. Ashish Tiwari	General	04.10.1994
4.	Dr. Sudhanshu Saran	General	05.01.1992
5.	Dr. Amit Kumawat	OBC	24.04.1990



राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी, जयपुर (राजमेस)

गोविन्द मार्ग, जनता कॉलोनी, चिकित्सा शिक्षा भवन, जयपुर
(राजस्थान सरकार द्वारा गठित)

(राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत)

Sr. No.	Name	Category	DOB
6.	Dr. Reena Malviya	General	25.06.1988
7.	Dr. Dinesh Chand Khada	ST	15.08.1988

निदेशक

राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी
जयपुर

क्रमांक : F1(5)RajMES/Estt./Faculty/Seniority List/2021/1315

दिनांक 31/5/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं उपाध्यक्ष, राजमेस, जयपुर।
2. प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज भरतपुर/भीलवाड़ा/पाली/चूरु/झुंजरपुर/बाड़मेर/सीकर।
3. संबंधित चिकित्सक शिक्षक द्वारा प्रधानाचार्य।
4. नोडल अधिकारी, वेबसाईट को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को वेबसाईट पर अपलोड करावें।
5. रक्षित पत्रावली।

निदेशक

राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी
जयपुर